भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2006

सं. 1–2/2006–बी एंड सीएस. – भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (के) के प्रावधान तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13–1/2004–रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं. 39 (एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनाँक 09/01/2004) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के पैराग्राफ (ii), (iii) तथा (iv) तथा उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदे ा "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पाँचवा सं ोधन) आदे ा, 2006 (2006 का 4)" कहा जाएगा।

(ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदे ा इसके सरकारी राजपत्र में प्रका ान की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (चौथा सं ोधन) आदे ा 2006 (2006 का 2) के साथ पठित दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा 2004 (2004 का 6) में खण्ड 3क तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के नीचे मौजूद दूसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित व्याख्या तथा उससे संबंधित प्रविश्टियां जोड़ी जाएंगी:

"व्याख्या 1 : उपर्युक्त 3क के प्रयोजन के लिए इस प्र न का निर्धारण कि क्या वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, केबल ऑपरेटर अथवा एमएसओ अथवा ब्राडकास्टर को भुगतान करेंगे या नहीं, ब्राडकास्टरों, एमएसओ (एमएसओएस), केबल ऑपरेटर (ऑपरेटरों) के बीच हुए करार (करारों) की भार्तों के अनुसार अथवा ब्राडकास्टर (ब्राडकास्टरों) और वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर (सब्सक्राइबरों) के बीच अथवा एमएसओएस और ऐसे केबल ऑपरेटरों, जिसे

एक ओर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को और दूसरी ओर जैसा भी मामला हो, को सिगनल प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, के बीच हुए करार की भार्तों के अनुसार किया जाएगा।"

3. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदे ा के **अनुबंध—क** में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है।

आदे ाानुसार,

राके ा कक्कड़, सलाहकार (बी एंड सीएस)

[विज्ञापन III/IV/142/2005/असा.]

अनुबंध क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट की टिप्पणी और एफएचआरएआई के अभ्यावेदन के अनुसरण में यह उचित समझा कि अन्तरित अवधि में अधिकतम सीमा की सुरक्षा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी प्रदान की जाए। तदनुसार, प्राधिकरण ने 7.3.2006 को टैरिफ सं ोधन आदे ा (चौथा सं ोधन आदे ा) जारी किया। परन्तु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के मामलें में गैर–वाणिज्यिक उपभोक्ता से भिन्न यह सुरक्षा, 1 मार्च, 2006 को विद्यमान दरों के स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। यह भी इंगित किया गया था कि प्रस्तावित सं ोधन अल्प अवधि उपाय है और विस्तृत जांच के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

2. विस्तृत जांच की दि ाा में प्रारंभिक कदम के रूप में होटलों तथा ब्राडकास्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुपों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया के दौरान ब्राडकास्टरों के ग्रुप ने एक अभ्यावेदन दिया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया था:

> "................................... इस आदे ा (7.3.2006 के टैरिफ सं ोधन आदे ा) से 17.1.2006 का आदे ा (टीडीसैट का आदे ा) निश्प्रभावी/उल्टा हो गया है (जोर देने के लिए इटैलिक्स में) टीडीसैट ने माना था कि होटलों को सेवाएं केवल प्राधिकृत तरीके से ही मुहैया कराई जानी चाहिए। अधिकां ा होटल तथा वाणिज्यिक संस्थान ब्राडकास्टरों से अपेक्षित प्राधिकार लिए बिना केबल ऑपरेटरों से सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दृश्टिकोण में, वर्तमान व्यवस्था जिसके माध्यम से होटल और वाणिज्यिक संस्थान सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं, वह सिगनलों की पायरेसी के समान है। स्पश्ट खतरा, यह है कि होटल/वाणिज्यिक संस्थाएं, ट्राई के टैरिफ आदे ा का दुरूपयोग वर्तमान अप्राधिकृत व्यवस्था को सही करार देने के लिए करेंगे। होटल अथवा वाणिज्यिक संस्थापना को सेवा प्राप्त करने और उसके प्रद ान के लिए संबंधित ब्राडकास्टर से लाइसेंस प्राप्त करना आव यक है। परन्तु, होटलों द्वारा खण्ड 43(क) का फायदा उठाकर निरन्तर सेवा प्राप्त की जा रही है और बिना किसी वैध लाइसेंस से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और एक अप्राधिकृत तरीके से..........।

3. 7.6.2006 के टैरिफ सं ोधन आदे ा के माध्यम से वाणिज्यिक केबल के उपभोक्ताओं को अधिकतम सीमा की सुरक्षा प्रदान करने के पीछे भाव तथा इरादा यह था कि उन वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्हें टेलीविजन सिगलन उनके द्वारा मुहैया किया जा रहा हो जो लिखित या मौखिक रूप से विधिवत् निश्पादित करारों के माध्यम से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत हों। सं ोधित आदे ा के पीछे मं ाा गैर कानूनी रूप से ब्राडकास्टिंग सेवाओं को बढ़ावा देने की नहीं थी।

4. माननीय टीडीसैट ने 17.1.2006 के अपने निर्णय के पैरा 37 में भी इसे माना है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हैः

> ".................. अतः, हम प्रतिवादियों को यह अनुमति प्रदान करते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं के एसोसिए ान तथा इसके सदस्यों के विरूद्ध, याचिकाकर्ताओं के एसोसिए ानों के सदस्यों द्वारा सिगनल प्राप्त करने के कारण उनके देय विधिसम्मत रकम की वसूली के लिए कार्रवाई करें। यदि याचिकाकर्ताओं के एसोसिए ान के सदस्यों ने प्रतिवादी ब्राडकास्टरों के प्राधिकृत एजेंट/वितरक/एमएसओ को अभिदान का भुगतान किया है तो इसे विधि सम्मत भुगतान माना जाएगा परन्तु जहाँ कहीं ऐसा अभिदान अप्राधिकृत वितरक अथवा एमएसओ अथवा केबल ऑपरेटरों को किया गया होगा तो ऐसे मामलों में प्रतिवादी ब्राडकास्टरों के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वे याचिकाकर्त्ताओं के एसोसिए ान के सदस्यों से इस बारे में माँग करें........."

5. इसमें स्पश्टता लाने के लिए नए जोड़े गए खण्ड के वर्तमान दूसरे प्रावधान के नीचे व्याख्या जोड़ने का निर्णय लिया गया है।